न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
470/2018	दावा 53 RTA	12.09.2018	06.11.2018

मोहम्मद आरिफ पुत्र मुश्ताक जाति पिनारा निवासी हलाल मस्जिद के पास, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या 30, चूरू (राजस्थान)

—वादी—

बनाम

1. फैजमोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति पिनारा निवासी हलाल मस्जिद के पास, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या 30, चूरू (राजस्थान)
2. रूकसाना पत्नी अख्तर जाति लोहार निवासी हलाल मस्जिद के पास, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या 30, चूरू (राजस्थान)
3. मोहम्मदजुबेर पुत्र उस्मानगनी जाति कसाई निवासी वार्ड संख्या 20, चूरू (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राजस्थान)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री रघुनन्दन सोनी वादी
2. अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा प्रतिवादी सं. 1 से 3

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि रोही कस्बा चूरू में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 958 तादादी 3.1742 हैक्टेयर स्थित है। वादी को यह कृषि भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम यह भूमि सुगरा पत्नी सलेमान जाति पिनारा की एकल खातेदारी की थी। सुगरा की मृत्यु के बाद उनके जायज वारिसान में फैजमोहम्मद प्रविादी सं. 1 व वादी के पिता सलेमान हुए। वादी के पिता सलेमान की मृत्यु के बाद उनके विधक वारिसान नामतः खुशीमोहम्मद, मोहम्मदआरिफ, मोहम्मदजाकिर, महमूदअली व पुत्री हमीदा हुए जिनके नाम से राजस्व अभिलेख में विरासतन नामान्तरकरण दर्ज हो गया। तत्पश्चात् खुशीमोहम्मद, मोहम्मदजाकिर, महमूदअली व हमीदा ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 मोहम्मदजुबेर को विकय कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्सा में से 40/251 हिस्सा कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 2 को विकय कर दिया। तदनुसार प्रतिवादी सं. 2 व 3 काबिज काश्तकार खातेदार निहित हो गये। उक्त कृषि भूमि में वादी का 1/10 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का विद्यमान है। वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर बाहमी बंटवारे के अनुसार नींव सींव कायम कर अपने हिस्से को काश्त करते हुए अर्सादराज से काबिज चला आ रहा है। वादी अपने कारोबारी कारणों से विदेश रहता है तथा यह कृषि भूमि चूरू शहर के नजदीक आ जाने के कारण कीमती हो गई है, जिससे पक्षकारान के मध्य अक्सर सींव को लेकर विवाद के चलते तनाजा रहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का कब्जा व काश्त

आखिरकार दिनांक 30.08.2018 को साफ इन्कार हो गये। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपने हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का विभाजन बाहमी बंटवारा के अनुसार न्यायालय के माध्यम से करवाये, जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा वादी को वाद हैतुक प्राप्त है। वादी ने राजस्थान सरकार को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहने से दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है, जो उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) जरिये डिक्री विभाजन कृषि भूमि खसरा नम्बर 958 तादादी 3.1774 हैक्टेयर रोही चूरू स्थित में वादी के 1/10 हिस्सा से 0.3174 हैक्टेयर कृषि भूमि का खाता मीन व लगान भी पृथक् कर कायम किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा उत्पन्न हो जाये जिसकी इस्तदुआ वाद–पत्र में करने से रह गई हो, को भी अता फरमाई जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाबदावा हेतु समय चाहा।

तारीख पेशी दिनांक 01.11.2018 को वादी की ओर से श्री मोहम्मद आवेश ने मुख्त्यारनामा खास मय वकालतनामा श्री रघुनन्दन सोनी एडवोकेट का पेश किया। वादी की ओर से उनके मुख्त्यार आवेश एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 स्वयं उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई। पक्षकारों ने आपसी सहमति से राजीनामा मय एनेक्जर 'ए' पेश किया एवं राजीनामा तस्दीक करने का निवेदन किया। राजीनामा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने वादगत कृषि भूमि में से अपने–अपने खातेदारी हिस्सों एवं कब्जा काश्त की भूमि के आसे–पासे अंकित कर इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने में अपनी सहमति दी है तथा सहमति के अनुसार अपने अपने हिस्सों में आने वाले भू–भाग को एनेक्जर 'ए' नजरी मौका नक्शा में दर्शाया है। पक्षकारान को राजीनामा पढ़ कर सुनाया गया। वादी की ओर से मुख्त्यार आवेश एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया जिस पर राजीनामा तस्दीक किया गया। वकील उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील उभयपक्ष को सुना गया।

वकील उभयपक्ष ने अपनी संक्षिप्त एवं संयुक्त बहस में जाहिर किया कि दावा में वादी एवं प्रतिवादी पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा पेश होकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। समस्त पक्षकारों ने राजीनामा के साथ अपने–अपने खातेदारी हिस्सों की कब्जा काश्त एवं बाहमी बंटवारे की कृषि भूमि के भागों को दर्शाते हुए नजरी नक्शा एनेक्जर 'ए' पेश किया है जिस पर समस्त पक्षकारों के सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं। एनेक्जर 'ए' के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में सभी पक्षकारों की सहमति है। अतः लोक अदालत की भावना

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् मय राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं चिन्तन मनन .किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 कस्बा चूरू ख.नं. 958 तादादी 3.1742 हैक्टेयर में वर्तमान में फैजमोहम्मद पुत्र सलेमान 1285751/7967242 हिस्सा, मो.आरिफ पुत्र मुस्ताक 1/10 हिस्सा जाति पिनारा, मोहम्मदजुबेर पुत्र उस्मानगनी 45967/79355 हिस्सा जाति कसाई, रूकसाना पत्नी अख्तर 40/251 हिस्सा जाति लोहार निवासी चूरू खातेदार अंकित हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. संलग्न है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति का राजीनामा में वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक के खातेदारी हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों के आसे–पासे दर्ज करते हुए इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने में अपनी सहमति दी है। एनेक्जर 'ए' नजरी मौका नक्शा में वादगत कृषि भूमि के नक्शे में पक्षकारों के कब्जा काश्त व बाहमी बंटवारे के अनुसार हिस्से में आई भूमि दर्शित करते हुए इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने में सहमति दी है तथा प्रत्येक पक्षकार ने राजीनामा व एनेक्जर 'ए' पर अपनी सहमति के हस्ताक्षर अंकित किये हैं।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका बाहमी विभाजन पक्षकारों ने आपसी सहमति से कर रखा है तथा बाहमी विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उभय पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जिसमें उन्होंने अपने–अपने हिस्से में आने वाली खातेदारी भूमि के आसे–पासे दर्शित करते हुए इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने में अपनी सहमति दी है तथा राजीनामा एवं एनेक्जर 'ए' के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया है। वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होने से नियमानुसार अपने–अपने हिस्से में आने वाली कृषि भूमियों का खाता विभाजन करवा कर अलग खाते व लगान कायम करवाने के अधिकारी हैं। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा व एनेक्जर 'ए' पेश कर राजीनामा व एनेक्जर 'ए' अनुसार दावा स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है जो कि लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना उचित है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के राजीनामा एवं एनेक्जर 'ए' के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 958 तादादी 3.1742 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से वादी के 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के 1285751/7967242 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के 40/251 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 के 45967/79355 हिस्सा का खाता विभाजन एनेक्जर 'ए' के अनुसार किया जाकर खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत एनेक्जर 'ए' को डिक्री का भाग माना जावेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा/मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)

उपखण्ड अधिकारी

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0 ए0 एस0

मोहम्मद आरिफ पुत्र मुश्ताक जाति पिनारा निवासी हलाल मस्जिद के पास, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या 30, चूरू (राजस्थान)

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. फैजमोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति पिनारा निवासी हलाल मस्जिद के पास, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या 30, चूरू (राजस्थान)
2. रूकसाना पत्नी अख्तर जाति लोहार निवासी हलाल मस्जिद के पास, गर्ल्स कॉलेज के पीछे, वार्ड संख्या 30, चूरू (राजस्थान)
3. मोहम्मदजुबेर पुत्र उस्मानगनी जाति कसाई निवासी वार्ड सं. 20, चूरू (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.</u>
मुकदमा नं. 470 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रघुनन्दन सोनी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब श्री रामकिशन शर्मा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

लोक अदालत की भावना से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के राजीनामा एवं एनेक्जर 'ए' के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 958 तादादी 3.1742 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू में से वादी के 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के 1285751/7967242 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के 40/251 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 के 45967/79355 हिस्सा का खाता विभाजन एनेक्जर 'ए' के अनुसार किया जाकर निम्नानुसार खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर मय आसा–पासा	तादादी	लगान
1.	मोहम्मद आरिफ पुत्र मुश्ताक जाति पिनारा निवासी चूरू खातेदार	958 मी. उतरी	0.3174	
2.	मोहम्मद जुबेर पुत्र उस्मान गनी जाति कसाई	958 मी.	1.8387	

3.	रूकसाना पत्नी अख्तर जाति लुहार निवासी चूरू खातेदार	958 मी. पश्चिमी मध्य	0.5058	
4.	फैज मोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति पिनारा निवासी चूरू खातेदार	958 मी. दक्षिण–पश्चिमी	0.5123	

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत एनेक्जर 'ए' को डिक्री का भाग माना जावेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06 माह नवम्बर सन् 2018 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू